

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 6/2022 - सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सा सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 25 सितंबर, 2019 को संख्यांक सा.का.नि. 691 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

(फा. सं. 334/01/2022-TRU)

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 25 सितंबर, 2019 को संख्यांक सा.का.नि. 691 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 56/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।